


संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0 भोपाल



कमांक/अ-5/सी-1/09/2015/ 423 भोपाल, दिनांक 28-5-15
प्रति,

✓ रजिस्ट्रार (लॉ)

म0प्र0 मानव अधिकार आयोग,
पर्यावस भवन, खण्ड-1 भोपाल म0प्र0

विषय:-आवेदक श्री आर0एस0 रघु, सहायक रसायन विशेषज्ञ,फर्टीलाईजर
वक्वालिटी कन्ट्रोल लेबोरेटरी शहडोल संभाग शहडोल के टी0ए0 बिल
की राशि रूपये 95,473-00 का भुगतान नहीं होने बाबत । ।

संदर्भ:-आयोग का पत्र कमांक 1627/माअआ/विशा/7021/शहडोल/14
दिनांक 28-1-2015 एवं पत्र क0 2311/(खण्डपीठ)7021/शहडोल/
14 दिनांक 22-4-15

—00—

विषयाकित संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि श्री रविशंकर रघु,
सहायक रसायन विशेषज्ञ,फर्टीलाईजर वक्वालिटी कन्ट्रोल लेबोरेटरी शहडोल
संभाग शहडोल को टी0ए0 बिल की राशि रूपये 95,473-00 के भुगतान हेतु
शिकायत पत्र संलग्न अयोग से प्राप्त हुआ था ।

प्रकरण के संबंध में अवगत कराया जाता है कि श्री रघु को कार्यालय
अनुविभागीय कृषि अधिकारी, पिपरीया जिला होशंगाबाद के कार्यालय में
उपलब्ध समस्त यात्रा देयक राशि रूपये 46,975-00 का भुगतान राशि दिनांक
26-3-2015 को श्री रघु के बैंक खाते में जमा करा दी गई है ।

तदानुसार आयोग कि लम्बित सूची से प्रकरण को विलोपित करना चाहेंगे ।
संलग्न:- अनुविभागीय कृषि अधिकारी का पत्र कमांक लेखा/14-15/411-12
दिनांक 31-3-15 की छाया प्रति संलग्न है ।

संचालक 28/5/15

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्य प्रदेश भोपाल